

नक्सल समस्या सीमति

चर्चा में क्यों?

पुलिस महानदिशक (DGP) के अनुसार, झारखंड में **नक्सलियों** पर संयुक्त हमलों से उनका अभियान कुल 24 ज़िलों में से केवल 5 ज़िलों तक सीमति हो गया है, जिसमें चाईबासा सबसे अधिक प्रभावति है।

मुख्य बदि:

- नक्सलवाद की उत्पत्तिसिथानीय ज़मींदारों के खिलाफ वदिरोह के रूप में हुई, जिन्होंने भूमविवाद को लेकर कसिानों की पटिाई की थी।
 - यह वदिरोह वर्ष 1967 में कानू सान्याल और जगन संधाल के नेतृत्व में मेहनतकश कसिानों के बीच भूमिके उचित पुनर्वतिरण के उद्देश्य से शुरू कयिा गया था।
- पश्चमि बंगाल से शुरू हुआ यह आंदोलन पूरवी भारत के कम वकिसति क्षेत्रों जैसे छत्तीसगढ, ओडिशा और आंध्र प्रदेश तक फैल चुका है।
- ऐसा माना जाता है कि नक्सली माओवादी राजनीतिक भावनाओं और वचिारधारा का समर्थन करते हैं।
 - माओवाद माओ त्से तुंग द्वारा वकिसति साम्यवाद का एक रूप है।
 - यह सशस्त्र वदिरोह, जन-आंदोलन और रणनीतिक गठबंधनों के संयोजन के माध्यम से राज्य की सत्ता पर कब्जा करने का सदिधांत है।
- वर्तमान में नशीले पदार्थों की तस्करी से नपिटने के लयि प्रयास कयि जा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप नशीले पदार्थों के तस्करों को पकड़ा जा रहा है तथा स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ (NDPS) अधनियम, 1985 के अंतर्गत अफीम की बड़ी मात्रा में ज़बती की जा रही है।

नशीले पदार्थों की तस्करी

- नशीले पदार्थों की तस्करी से तात्पर्य अवैध दवाओं का नरिमाण, वतिरण और बकिरी से जुड़े अवैध व्यापार से है
- इसमें अवैध नशीली दवाओं के व्यापार से जुड़ी कई तरह की गतिविधियाँ शामिल हैं, जनिमें कोकीन, हेरोइन, मेथैमफेटामाइन और सथिटिक ड्रग्स जैसे पदार्थों का उत्पादन, साथ ही इन पदार्थों का परिवहन तथा वतिरण शामिल है
- नशीली दवाओं की तस्करी आपराधिक संगठनों के एक जटलि नेटवर्क के भीतर संचालति होती है जो सीमाओं, क्षेत्रों और यहाँ तक कि महाद्वीपों तक फैली हुई है।

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधनियम, 1985

- यह कसिी व्यक्त को कसिी भी मादक दवा या मनःप्रभावी पदार्थ का उत्पादन, रखने, बेचने, खरीदने, परिवहन करने, भंडारण करने और/या उपभोग करने से प्रतिबंधति करता है।
- NDPS अधनियम, 1985 के एक प्रावधान के तहत मादक पदार्थ दुरुपयोग नयित्रण के लयि राष्ट्रीय कोष भी बनाया गया, ताकि अधनियम के कार्यान्वयन में होने वाले व्यय को पूरा कयिा जा सके।